अमृत वाणी

मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होती और जागते रहने से भय नहीं होता। *-चाणक्य,*

आमजनों का बजट

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 8 फरवरी को राज्य के वित्तमंत्री के रूप में अपना पहला बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया। अपने चुनावी वादों की तरह उन्होंने अपना यह बजट भी आमजनों को ध्यान में रखते हुये प्रस्तुत किया है। बजट में कोई नया कर का प्रस्ताव ना करके जहां उन्होंने आम जनता को बड़ी राहत दी है वहीं शिक्षा, पेयजल, कृषि विकास एवं युवाओं पर विशेष ध्यान जैसे आमजनों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी है।

बजट में सरकार द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण वादा बिजली बिल हाफ को पूरा करने लिए 400 करोड़ के नवीन मद में प्रावधान कर 1 मार्च 2019 से घरेलू उपभोक्ताओं को यह लाभ देने का ऐलान किया गया है।

इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि यह सरकार मुख्यतः किसानों के बल पर ही सत्ता पर आई है इसलिए बजट में किसानों से किये गये वादे पूरा करने के लिए धनराशि का प्रावधान करने के साथ-साथ कृषि विकास के लिए और भी कई नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है।

इसी परिपेक्ष में दुर्ग एवं बेमेतरा जिले में इसी सत्र से नया कृषि महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव सराहनीय है। इसी क्रम में नवीन पशु औषाधालय के स्थापना के प्रस्ताव से पशुपालकों को भी प्रोत्साहित किया गया है। इस दिशा में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नवीन विश्व विद्यालय के स्थापना का प्रस्ताव भी एक अहम कदम है।

बजट में स्वास्थ्य सेवा को अहमियत देते हुये चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर एवं जगदलपुर में सुपरस्पेशिलिटी चिकित्सालय के स्थापना हेतु प्रावधान किया गया है। उसी तरह जिला चिकित्सालय जगदलपुर एवं रायगढ़ में ट्रामा यूनिट तथा बिलासपुर में बर्न यूनिट की स्थापना का प्रावधान भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्तमंत्री ने बजट में उच्च शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया है। इस संदर्भ में जहां जिला बालोद में इसी सत्र से महिला महाविद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है वहीं विभिन्न शालाओं का उन्नयन, शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती छात्रावास एवं शाला भवनों का निर्माण तथा अल्पशिक्षित ग्रामीण सहित सभी युवाओं को रोजगार कौशल से प्रशिक्षित करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इससे एक ओर जहां शिक्षा के क्षेत्र की बुनियादी जरूरतें पूरी होने से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहन मिल सकेगा वहीं राज्य में प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार की उपलब्धता अपेक्षाकृत आसान हो सकेगी।

बजट में रसोइयों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव कर उनके बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया गया है। इसके अलावा बजट में बीपीएल ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल के लिए निःशुल्क घरेलू नल कनेक्शन, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि में वृद्धि, कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षित आवास सुविधा, राज्य शासन की भर्ती में राज्य के मूल निवासियों को दी जाने वाली आयुसीमा में छूट की अवधि में वृद्धि, तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक में वृद्धि, पेयजल गुणवत्ता परीक्षण के लिए शहरी क्षेत्रों में प्रयोगशाला की स्थापना, उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना, नागरिकों को घर पहुंच सरकारी सेवा की सुविधा, पुलिस विभाग में जिला कार्यपालिक बल के आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक रेशपंस भत्ता का भुगतान तथा पुलिस विभाग में दो हजार नवीन पदों का सृजन जैसे अनेक आम जन केन्द्रित महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है।

राज-काज

फिर राम पर झगड़ा क्यों

योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं, बल्कि मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। इस पर मुस्लिम नेताओं ने सवाल किया और कहा कि यदि यह बात सच है तो फिर झगड़ा किस बात का है और उनके नाम पर विवादित ढांचे को आखिर क्यों गिराया गया। यह राजनीति नहीं तो फिर क्या है, पहले तो आपस में लड़वाओ और जब वोटबैंक का काम हो जाए तो राम को सभी का पूर्वज बता दो। इस पर रामदेव कहते देखे गए हैं कि मंदिर मुद्दा वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा नहीं है। जबकि तमाम लोगों ने यह मान लिया है कि यह मुद्दा चुनाव के दौरान ही उठाया जाता है और उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि इस मामले से राजनीति को अलग कर दिया जाए, क्योंकि हिंदु-मुस्लिम मिलकर भी मंदिर या मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन राजनीति करने वाले ऐसा होने नहीं देंगे।

अदालत और सेना

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने सेना को फटकार लगाते हुए हिदायत दी है कि वो राजनीति से दूर रहे। कोर्ट के मर्यादा में रहने के निर्देश भले ही सेना या अन्य संगठनों के गले न उतरें, लेकिन हकीकत तो यही है कि इन सभी को मर्यादा में रहने की आवश्यकता तो है। दरअसल अदालत ने एक फैसले में कहा है कि पाकिस्तान की फौज, गुप्तचर एजेंसियां और सरकारों को अपनी-अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अदालत की यह टिप्पणी उन लोगों को बल देती है, जिन्होंने पाकिस्तान के पिछले आम चुनाव में भारी गड़बड़ी करने और सेना के दखल होने के संगीन आरोप लगाए थे। जानकार कहते हैं कि यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि यह वही अदालत है जिसने एक समय सैन्य तख्ता पलट को जायज ठहराते हुए जरूरत का सिद्धांत करार दिया था, अतरू इसे स्वीकारा जाना चाहिए कि राजनीति से सेना और अन्य जांच एजेंसियों को दूर ही रहना चाहिए।

पं. दीनदयाल उपाध्याय की अर्थनीति के मूल में है भारतीय दृष्टिकोण

आज पुण्यतिथि पर विशेष

वर्तमान दौर में गरीब कल्याण और गरीबी उन्मूलन पर नया बहस शुरू हुआ है। केन्द्र की भाजपा नीति राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार की अनेक योजनाओं का केन्द्र बिन्दु गरीब कल्याण पर टिका है। अन्य राजनीतिक दल भी गरीबों को अपने राजनीतिक एजेण्डा का मुख्य बिन्दु बनाया हुआ है। स्मरण रहें कि बीते वर्ष में पं. दीनदयाल उपाध्याय के शताब्दी वर्ष में केन्द्र की मोदी सरकार सहित अनेक राज्यों में अन्त्योदय को लक्ष्य घोषित कर उनके अर्थ-चिन्तन को आधार बनाया है। इस क्रम में उनके अर्थनीति पर समग्र विचार करना सामयिक होगा।

विद्यार्थी जीवन से ही गणित के संदर्भ में उनकी प्रतिभा को विषय में हम जानते हैं, लेकिन वह उच्च शिक्षा में साहित्य के छात्र थे, जब वे राजनैतिक दल के कार्यकर्ता बने तब उन्होने महसूस किया कि स्वतंत्र अर्थनीति के बिना कोई स्वतंत्र समाज अपना समुचित विकास नहीं कर सकता। वे कोई बना बनाया आर्थिक राजनीतिक ढ़ांचा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे दल के नायक थे जो मूलतः संस्कृतिवादी था तथा भौतिक जीवन के बिना बने बनाये पाष्चात्य मार्गो पर नहीं चलना चाहता था। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य कल्पना के साथ बिना 'आर्थिक नीति' कोई राजनैतिक दल चल नहीं सकता। सामाजिक, आर्थिक जीवन से निकटता प्राप्त किये बिना सांस्कृतिक, धार्मिक व शास्त्रीय अवधारणाओं के बल पर कोई दल राजनैतिक वर्चस्व नहीं प्राप्त कर सकता। अतः जब दीनदयाल उपाध्याय ने दल का नेतृत्व संभाला तो उन्होंने अपने दल के सांस्कृतिक आग्रहों के अनुकूल अर्थनीति को विकसित करने का प्रयत्न किया। प्रभूत पुस्तकर लेखों तथा प्रलेखों के साथ ही इस विषय पर दीनदयाल उपाध्याय द्वारा क्रमबद्ध रूप से लिखी हुई तीन पुस्तकें हमे अध्ययनार्थ उपलब्ध है:- (1) द टू प्लान्सः प्रोमिसेस, परफ्रोर्मेंस, प्रोस्पेक्टस (दो योजनायें: वायदे, अनुपालन, आसार) (2) भारतीय अर्थनीतिः विकास की एक दिषा तथा (3) डीवेल्यूऐषन- ए ग्रेट फॉल (अवमूल्यन- एक महान क्षति)।

अर्थनीति से संबद्ध वक्तव्यों व लेखों में समय-समय पर लिये गये सरकारी निर्णयों पर वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। सामान्यतः अर्थनीति के क्षेत्र में पाष्चात्य नकल को बुरा मानते थे। हमारी व पाष्चात्य परिस्थितियों में बहुत फर्क है, अतः हमें अपनी 'अर्थनीति का भारतीयकरण' करना होगा। अपने इस मंतव्य को विवेचित करते हुए दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है:-

''देष के दारिद्रय दूर होना चाहिए, इसमें दो मत नहीं किन्तु प्रष्न यह है कि यह गरीबी कैसे दूर हो? हम अमेरिका के मार्ग (पूंजीवाद) पर चलने या रूस के मार्ग (समाजवाद) को अपनायें अथवा यूरोपीय देषों का अनुकरण करें। हमें इस बात को समझना होगा कि इन देषों की अर्थव्यवस्था में अन्य कितने भी भेद क्यों न हो इनमें एक मौलिक साम्य है। सभी ने मषीनों को ही आर्थिक प्रगति का साधन माना है। मषीन का सर्वप्रधान गुण है कम मनुष्यों द्वारा अधिकतम उत्पादन करवाना। परिणामतः इन देषों को स्वदेष में बढ़ते हुए उत्पादन को बेचने के लिए विदेषों के बाजार ढूंढने पड़े। साम्राज्यवाद उपनिवेषवाद इसी का स्वाभाविक परिणाम बना। इस राज्य-विस्तार का स्वरूप चाहे भिन्न-भिन्न हो किन्तु क्या रूस को, क्या अमेरिका को तथा क्या इंगलैंड को, सभी को इस मार्ग का अवलम्बन करना पड़ा। हमें स्वीकार करना होगा कि भारत के आर्थिक प्रगति का रास्ता मषीन का रास्ता नहीं है। कुटीर उद्योगों को भारतीय अर्थनीति का आधार मानकर विकेन्द्रित अर्थव्यवस्था का विकास करने से ही देष की आर्थिक प्रगति संभव है।''

वे देष में घटित होने वाले हर आर्थिक घटना पर अपनी टिप्पणी करते थे। अतः इन टिप्पणियों का प्रभूत पुरकर साहित्य अध्ययनार्थियों के लिए उपलब्ध है। जब सरकार ने खाद्यान्न व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा, दीनदयाल जी ने गंभी अर्थषास्त्रीय तर्कों के साथ इसका विरोध किया। 1960 में पीएल 480, 1963 में स्वर्ण नियंत्रण कानून तथा 1966 में भारतीय रूपये का अवमूल्यन ऐसी घटनायें थी, जिनके कारण दीनदयाल जी बौद्धिक रूप से आंदोलित हुए। राष्ट्रीय एवं मानवीय संवेदना के अपने दृष्टिपथ को उन्होंने सांगोपांग तर्कों के साथ प्रस्तुत किया। वे प्रतिवर्ष अर्थनीति पर संस्कृति परक एक नया आलेख लिखते थे।

दीनदयाल जी केवल आर्थिक समीक्षक ही नहीं वरन् आर्थिक चिंतक भी थे। जनसंघ में वे एक क्रियाषील दार्षनिक थे। समग्रतावादी दार्षनिक होने के कारण पं. दीनदयाल उपाध्याय उन लोगों से हर विषय पर असहमत रहते हैं जो जीवन के किसी विषिष्ट आयाम को जीवन की समग्रता का नियामक मान बैठते हैं अथवा एक ही पहलू की ऐसी अतिरेकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं जिसमें जीवन के अन्य विविध पहलुओं की उपेक्षा हो जाती है। इस संदर्भ में उपाध्याय लिखते हैं:-

''भारतीय जनसंघ के पास स्पष्ट आर्थिक कार्यक्रम है, किन्तु उसका स्थान हमारे सम्पूर्ण कार्यक्रम में उतना ही है जितना भारतीय संस्कृति में अर्थ का। पाष्चात्य संस्कृति भौतिकवादी होने के कारण अर्थप्रधान है। हम भौतिकवाद और आध्यात्मवाद दोनों का समन्वय करना चाहते हैं। अतः यह निष्चित है कि जनसंघ उन अर्थपाष्रियों व दलों से, जो अर्थ के सामने जीवन के प्रत्येक मूल्य की उपेक्षा करके चलना चाहते हैं, इस मामले में सदैव पीछे रहेगा।

जनसंघ हृदय, मस्तिस्क और शरीर तीनों का सम्मिलित विचार करता है। इसी कारण कुछ लोग जनसंघ पर यह आरोप लगाते हैं कि जनसंघ आध्यात्मिकता की उपेक्षा करता है, महर्षि अरविंद आदि महापुरूषों की भाषा नहीं बोल पाता। हम दोनों ही प्रकार के आरोपों का स्वागत करते हैं और इतना ही कहना चाहते हैं कि अर्थ, समाज की धारणा के लिए आवष्यक है। जितने मात्र से व्यक्ति अपना भरण-पोषण करके अन्य श्रेष्ठ मूल्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर सके उतने को ही हमने अपने कार्यक्रम में स्थान दिया है।

चन्द्रशेखर साहू
(दो लेखक के अपने विचार है)

यह ममता बनर्जी की जीत तो नहीं कही जा सकती

उच्चतम न्यायालय का आदेश प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना खत्म करने का आधार बना। हालांकि उन्होंने न्यायालय के आदेश को अपनी नैतिक जीत, पश्चिम बंगाल की जीत बता दिया। आखिर इस आदेश में ऐसा क्या है जिसे उनकी जीत मानी जाए न्यायालय ने अभी सीबीआई कर्मियों के साथ पश्चिम बंगाल पुलिस के दुर्व्यवहार पर विचार नहीं किया है। न्यायालय के सामने ममता का विरोध और धरना भी विचार का विषय नहीं था। उसके सामने पहला विषय सीबीआई को कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से पूछताछ की अनुमति देने का था। यह न्यायालय ने दे दिया। उसने पश्चिम बंगाल की तरफसे पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से ही पूछ दिया कि आखिर उनको सीबीआई के सामने पेश होने में समस्या क्या हैय मुख्य न्यायाधीश ने यह भी पूछा कि पश्चिम बंगाल को जांच के हमारे आदेश से क्या दिक्कत हैय सीबीआई ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी की अनुमति की अपील की ही नहीं थी। इसलिए यह कहना कोई मायने नहीं रखता कि गिरफ्तारी की अनुमति नहीं मिलना सीबीआई के लिए धक्का है। सीबीआई ने यह कहा ही नहीं था कि वह राजीव कुमार के आवास पर उनको गिरफ्तार करने गई थी। उच्चतम न्यायालय के आदेश का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि राजीव कुमार को अब सीबीआई के सवालों का जवाब देने शिलांग जाना होगा। यानी पश्चिम बंगाल में उनसे पूछताछ नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हैघ् क्या यह ममता सरकार के व्यवहार पर बिना बोले न्यायालय की टिप्पणी नहीं है।

इन सबका अर्थ निकालने के लिए हम स्वतंत्र हैं। किंतु जिस तरह सीबीआई की टीम को कोलकाता पुलिस ने अपराधी की तरह पकड़ा, उनको गाड़ी में बिठाकर थाने ले गए, सीबीआई के संयुक्त निदेशक के घर को घेर लिया गया, क्षेत्रीय कार्यालय को पुलिस घेराव के कारण सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को उतारना पड़ा वो सारे वाकये उच्चतम न्यायालय के सामने थे। आगे ऐसा न हो, इसलिए राजीव कुमार एवं ममता बनर्जी के प्रभाव से बाहर के क्षेत्र में उनसे पूछताछ होगी। वहां राजीव कुमार एक सामान्य नागरिक होंगे। उनकी सुरक्षा में कोलकाता पुलिस नहीं होगी। चूंकि सारदा चिटफंड एवं रोजवैली घोटाला का यह मामला सीबीआई को उच्चतम न्यायालय के आदेश से मिला है, इसलिए उसके काम में बाधा डालना वास्तव में न्यायालय की भी अवमानना होगी। सीबीआई ने राजीव कुमार के साथ पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र कुमार तथा मुख्य सचिव मलय कुमार डे पर न्यायालय की अवमानना का मामला चलाने की भी अपील की है। इन अधिकारियों ने सीबीआई के अनुरोध की लगातार उपेक्षा की। साथ ही पुलिस बल भी इनके मातहत आता है जिसने न्यायालय के आदेश के तहत जांच करनेवालों के साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया तथा सीबीआई के लिए काफी देर तक आतंक का माहौल कायम कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है जिसका जवाब इन्हें 18 फरवरी तक देना है। साथ ही 20 फरवरी को अगली सुनवाई में प्रमुख सचिव, महासचिव और कुमार तीनों को व्यक्तिगत रूप से भी पेश होना होगा।

यह किसी तरह अनुकूल आदेश तो नहीं है। अगर न्यायालय ने इन्हें जवाब के साथ उपस्थित होने का आदेश दिया है तो इनकी मेहमानबाजी के लिए नहीं। इनके जवाब से संतुष्ट न होने पर वह कार्रवाई भी कर सकता है। इस आदेश को अगर ममता बनर्जी अपनी जीत, लोकतंत्र की विजय तथा नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की पराजय कह रहीं हैं तो इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उच्चतम न्यायालय का रुख सुनवाई के दौरान हुई टिप्पणियों से भी स्पष्ट हो जाता है। हम यह नहीं कहते कि राजीव कुमार दोषी है। वे सक्षम पुलिस अधिकारी माने जाते रहे हैं। उनके नाम कई उपलब्धियां हैं, साहस के कई कारनामें हैं। किंतु इस मामले में उनका रवैया अस्वीकार्य रुप से असहयोगात्मक रहा है यह साफहै। सीबीआई ने यदि उच्चतम न्यायालय में उन पर आरोप लगाए हैं तो उस पर सहसा अविश्वास नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय में एजेंसी झूठा शपथपत्र देगी तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। सीबीआई ने 14 पृष्ठों का जो शपथपत्र दिया है उसमें कौल रिकार्ड से लेकर आरोपियों से बरामद सबूत नष्ट करने तथा दोषियों को बचाने का आरोप है।

उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को केवल गिरफ्तारी का आदेश नहीं दिया। लेकिन पूछताछ के बाद अगर वो छापा मारना चाहती है तो ऐसा करने में कोई रोक नहीं है। ममता बनर्जी आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रबाबू नायडू के बाद दूसरी मुख्यमंत्री थी जिन्होंने 16 नवंबर 2018 को राज्य में सीबीआई के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कानून के अनुसार सीबीआई को राज्यों के मामलों की जांच के लिए सहमति जरुरी है। किंतु सहमति वापस लेने का अर्थ यह नहीं है कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी मामले की जांच का आदेश दे तो भी सीबीआई ऐसा नहीं करती। संभव है ममता के फैसले के बाद कुछ अधिकारियों को गलतफहमी हुई हो कि अब सीबीआई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। शायद ममता के कुछ सहयोगियों को भी गलतफहमी रही हो। तो उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद यह गलतफहमी दूर हो गई होगी। ममता चाहे इस पूरे प्रकरण का जैसे मूल्यांकन करें, राजीव कुमार के घर पर पहुंचकर तथा धरना देकर उन्होंने सीबीआई का ही पक्ष मजबूत किया है। अगर सीबीआई को नहीं रोका जाता तो वह उच्चतम न्यायालय शायद ही जाती। अब वे ज्यादा आत्मविश्वास और आक्रामकता से कार्रवाई करेंगे।

इस प्रकरण के कई पहलू और हैं जिस पर विचार करना आवश्यक है। चन्द्रबाबू नायडू की उपस्थिति में मेट्रो सिनेमा से धरना खत्म करते हुए ममता बनर्जी ने कुछ और बातें कहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य की एजेंसियों समेत सभी जांच एजेंसियों पर नियंत्रण रखना चाहती है। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर गुजरात लौट जाना चाहिए। मोदी अपनी दादागिरी चला रहे हैं। कोई भी उनके खिलाफ बोलता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। मोदी जी ने संविधान को नष्ट कर दिया, गणतंत्र को नष्ट कर दिया। मेरा कहना है मोदी हटाओ और देश बचाओ। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह पुरा भाषण राजनीतिक है। इसमें कोई तथ्य नहीं है। यह भाषण वो लगातार दे रहीं हैं। प्रश्न है कि इसका सीबीआई की जांच बाधित करने से क्या संबंध हैघ् इसका अर्थ साफहै। ममता पिछले लंबे समय से इस रणनीति पर काम कर रहीं हैं कि उनको नरेन्द्र मोदी से सीधे टकराने वाली नेता और मुख्यमंत्री के रुप में जाना जाए। उसके लिए हर अवसर को गलत दिशा देकर वो टकराव की भंगिमा अख्तियार करतीं हैं। 19 जनवरी को विपक्षी नेताओं को परेड ग्राउंड में एक मंच पर इकट्ठा कर उन्होंने यह बताने की कोशिश की विपक्ष में मैं अकेले इतनी प्रभावी हूं कि सभी मेरे बुलावे पर आ सकते हैं।

वास्तव में इस मामले में ऐसा कुछ नहीं था कि धरना देने की आवश्यकता हो। राजीव कुमार से पूछताछ उनकी पुलिस ने नहीं होने दिया। उनकी पुलिस ने सीबीआई अधिकारियों को हिरासत में लिया। ममता बनर्जी ने स्वयं कहा कि हम चाहते तो उनको गिरफ्तार कर सकते थे लेकिन हमने उनको छोड़ दिया। तो इसमें उत्पीड़ित कौन हुआघ् सीबीआई या ममता बनर्जी या उनके चहेते अधिकारीघ् मामला उच्चतम न्यायालय के आदेश पर सीबीआई की वैध कार्रवाई का था। उच्चतम न्यायालय में पश्चिम बंगाल के वकील ने भी केवल सीबीआई का ही नाम लिया। आगामी लोकसभा चुनाव में उनके सामने भाजपा सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है जिससे अंदाजा उनको है। इससे निपटने के लिए वो लगातार एक मुख्यमंत्री की अपनी भूमिका भूलकर अलोकतांत्रिक हरकत पर उतर जातीं हैं। यह सब वो जानबूझकर करती हैं। वो यह मानती हैं आम बंगाली का आत्माभिमान इससे उनके पक्ष में जागेगा कि केन्द्र सरकार और भाजपा उनको परेशान और फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन विवेकशील लोगों को सच पता होगा। उनको लगता होगा कि इससे चुनाव में पुलिस और प्रशासन का उनको पूरा समर्थन मिल जाएगा तथा वे सब भाजपा विरोधी हो जाएंगे। 2016 के विधानसभा चुनाव में यह खेल उन्होंने खेला था। किंतु चुनाव आयोग सब देख रहा है। जरुरत पड़ने पर वह बाहरी पुलिस और सुरक्षा बल बुलाकर चुनाव करा सकता है। इन सबसे परे यह प्रश्न तो उठेगा ही कि जो लाखों गरीब और निम्नमध्यम वर्ग दोनों मामलों में लुट गए, बरबाद हो गए उनको न्याय दिलाने में मुख्यमंत्री के नाते ममका बनर्जी की कोई जिम्मेवारी है या नहींघ् अगर उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को यही जिम्मेवारी तो सौंपा है जिसकी वो मुखालफ्त कर रही थी।

अवधेश कुमार
(दो लेखक के अपने विचार है)

प्रयागराज महाकुंभ में मध्यप्रदेश की भागीदारी

प्रयागराज इस समय आनंद में है और आनंद में है समूचा भारतीय समाज। क्योंकि 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाले महाकुंभ में पुण्य प्राप्त किए जाने का यह विरल अवसर है। तत्प्रदेश सरकार ने भारतीय समाज के इस महाकुंभ को अविस्मरणीय बना दिया है तो लोकनीति के तहत अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए मुख्यमंत्री कमल नाथ की पहल पर मध्यप्रदेश के ऐसे 3600 यात्रियों को कुंभ में राज्य शासन की ओर से भेजा जा रहा है जो इतने सक्षम नहीं हैं कि स्वयं के आर्थिक खोतों से कुंभ स्नान कर सकें। मध्यप्रदेश की तीर्थदर्शन योजना के तहत यह व्यवस्था मुख्यमंत्री के निर्देशों पर हुई है। तीर्थदर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों का आशीष और उम्मीदों से भरी उनकी आंखें जैसे मध्यप्रदेश की धरती को नमन कर रही हैं। महाकुंभ भारतीय संस्कृति का परिचायक तो है ही, नास्तिक व्यक्ति में भी धर्म के प्रति आदर तथा आस्था जगाने वाला पुरातन काल से चला आ रहा भव्य आयोजन है। ग्रहों व नक्षत्रों की वैज्ञानिक गणना पर आधारित समय पर कुंभ प्रत्येक छह वर्ष पर तथा 12 वर्ष पर महाकुंभ लगता है। पर्व, त्यौहार और तिथियाँ हमारी सनातन संस्कृति की पहचान हैं, धरोहर हैं। भारत की सनातन संस्कृति में जल, जंगल, पर्वत सभी पूजित हैं। इनकी रक्षा और इनके सहचर्य में ही मानव जीवन निरोगी, सुखी और मोक्षगामी होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ लगता है। कुंभ मेला किस स्थान पर लगेगा यह ग्रहों की राशि तय करती है। उदाहरण के लिए, निर्धारित नियमों के अनुसार प्रयाग में कुंभ तब लगता है जब माघ अमावस्या के दिन सूर्य और चन्द्रमा मकर राशि में होते हैं और गुरु मेष राशि में होता है। इसी तरह अन्य स्थानों पर कुंभ लगने के समय का निर्धारण पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से होता है। कुंभ मेले का हिन्दू धर्म में काफी महत्व है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कुंभ मेले की कहानी समुद्र मंथन से शुरू होती है, जब देवताओं और असुरों में अमृत को लेकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर अमृत कलश को अपने पास ले लिया। उन्होंने ये कलश इन्द्र के पुत्र जयंत को दिया। जयंत जब अमृत कलश को दानवों से बचाकर भाग रहे थे, तब कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं। ये बूंदें चार स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन पर गिरीं, वहीं हर 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 6 साल बाद लगने वाले मेले को अर्द्ध कुंभ कहते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति के दिन 15 जनवरी से आरम्भ होकर 4 मार्च तक चलने वाले कुंभ महाआयोजन में देशभर के श्रद्धालुओं के साथ ही विदेशी तीर्थयात्री और पर्यटक भी बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुँच रहे हैं। देश-विदेश से आने वाले साधु-संतों के सानिध्य में पुण्य लाभ लेने वालों को अभिभूत होते देखकर लगता है मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया है। देश-देशांतर से कुंभ में शामिल होने वालों में सिर्फ हिन्दू ही नहीं बल्कि दूसरे जाति-सम्प्रदाय के लोगों को देखकर इसके महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। कुंभ एक ऐसा आयोजन है जो धार्मिक एवं पुरातन दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही बल्कि विश्व में शांति तथा सामाजिक समरसता के लिए भी पहचाना जाता है। विदेशी साधु-संतों का कुंभ में पहुँचना इसका ज्वलंत प्रमाण है। जैसा कि वेदों में सुनिश्चित है, कुंभ का आयोजन प्रयाग के अलावा हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में भी क्रमानुसार होता रहता है।

प्रयागराज के इस कुंभ में जब देश-दुनिया के लोग डुबकी लगाकर आनंद में डूब उतर रहे होंगे तब मध्यप्रदेश के नागरिकों को भी यह सुख पाने का अवसर मिल रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ की पहल पर प्रयागराज कुंभ मेला के लिये 3600 तीर्थ-यात्रियों को लेकर मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना के अंतर्गत विशेष ट्रेन रवाना होगी। हबीबगंज रेल्वे स्टेशन से 12 फरवरी को यात्रा की शुरूआत होगी। बुरहानपुर से 14 फरवरी, शिवपुरी से 22 फरवरी और परासिया से 24 फरवरी को कुंभ मेला के लिये विशेष ट्रेन रवाना होगी। इनमें भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह, बुरहानपुर, खण्डवा, हरदा, जबलपुर, परासिया, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, इटारसी, कटनी, नरसिंहपुर के तीर्थ-यात्री शामिल होंगे। प्रत्येक ट्रेन में तीर्थ-यात्रियों की देख-रेख के लिये दस-दस सुखाकर्मी साथ रहेंगे।

निलय श्रीवास्तव
(दो लेखक के अपने विचार है)